परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्रांक 697 एमटी / 2020–99एमटी / 2019–20 दिनांक 20 फरवरी, 2020

समस्त सेवा प्रबन्धक / क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषय :– निगम कार्यशालाओं में आउटसोर्सिंग द्वारा कराये जा रहे कार्यों के भुगतान हेतु Standard Operating Practices(SOP) के सम्बन्ध में।

क्षेत्रों द्वारा कार्यशालाओं में कार्मिकों की कमी के कारण वाह्य स्रोत से कार्मिक लेकर बसों की मेन्टेनेन्स एवं मरम्मत सम्बन्धित कार्य कराये जाने हेतु पत्र सं0 2235 एमटी / 08–88 एमटी / 91 (11) दिनांक 14.11.2008 द्वारा निम्नानुसार आदेश पारित किये गये थे।

1– प्रत्येक कम कार्मिक के विरूद्ध रू0 450 प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से वाह्य स्रोत से कार्मिक लेकर कार्य कराये जाने के लिए आवश्यक धनराशि की गणना की जाएगी।

2– वाह्य स्रोत से कार्मिक लेकर कराये गये कार्य के विरूद्ध भुगतान जॉब वार निर्धारित दरों पर किया जायेगा।

3– जॉब वार दरों के निर्धारण क्षेत्रीय स्तर पर सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक डिपो, क्षेत्र के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक वित्त, सेवा प्रबन्धक एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक की क्षेत्रीय समिति द्वारा किया जायेगा।

जॉब वार दरों के निर्धारण के लिए डिपो स्तर एवं क्षेत्रीय कार्यशाला स्तर की कुल 137 सम्भावित भिन्न–भिन्न कार्यों की सूची दरों सहित संलग्न कर इण्डिकेटर दरों के रूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित की गयी थी कि इन दरों को गाईडलाईन के तौर पर इस्तेमाल किया जायेगा तथा क्षेत्रीय समिति डिपो / क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, स्थानीय श्रम दरें व इस सूची में दरों को संज्ञान में लेकर सम्बन्धित डिपो / क्षेत्र के लिए जॉबवार दरों का निर्धारण करेगी।

उक्त के कम मे पत्र सं0 1618 एमटी / 10–91 एमटी / 91 दिनांक 26.07.2010, पत्र सं0 1922 एमटी / 12–91 एमटी / 91 दिनांक 15.05.2012 एवं पत्र सं0 3803 एमटी / 2016–91 एमटी / 91 दिनांक 10.11.2016 द्वारा कमशः रू0 1500 / –, रू0 2800 / – एवं रू0 5000 / – अधिकतम धनराशि प्रति माह प्रति कम कर्मकार के आधार पर माह के प्रथम दिवस की बस बेड़े की संख्या के आधार पर आगणित धनराशि की सीमा के भीतर वाह्य स्रोत से समस्त प्रकार के मेन्टेनेन्स, क्षतिग्रस्त / दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की मरम्मत तथा अन्य विभिन्न रिपेयर कराये जाने की (जॉब के आधार पर) स्वीकृति प्रदान की गयी।

पत्र सं0 1040 सीईटी / 15–04सीईटी / 09 टीसी दिनांक 21.04.2015 निगम की कार्यशालाओं में आई0टी0आई0 / डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों को वाह्य स्रोत में तकनीकी कार्य हेतु रखे जाने के लिए निर्देश जारी किये गये थे जिन्हे पत्र सं0 693 सीईटी / 15–04सीईटी / 09 टीसी दिनांक 27.04.2017 के द्वारा पुनरिक्षित करते हुए निम्नानुसार दरों को निर्धारित किया गया:–

1– जो अभ्यर्थी आई0टी0आई0 / डिप्लोमा धारक है, उनके पास कोई अनुभव नहीं है, उन्हे "पीस मील वर्क" के अनुसार रू0 5000 / – प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।

2– जो अभ्यर्थी आई0टी0आई0 / डिप्लोमा धारक है और उनके पास दो वर्ष का तकनीकी कार्य करने का अनुभव हो तो इस अभ्यर्थियों को "पीस मील वर्क" के अनुसार रू0 7000 / – प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।

3– जो अभ्यर्थी आई0टी0आई0 / डिप्लोमा धारक है और उनके पास पांच वर्ष का तकनीकी कार्य करने का अनुभव हो तो इस अभ्यर्थियों को "पीस मील वर्क" के अनुसार रू0 9000 / – प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।

4–(अ) प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो आई0टी0आई0 पास हो ऐसे अभ्यर्थियों को "पीस मील वर्क" के अनुसार रू0 7000 / – प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।

(ब) प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो आई0टी0आई0 पास न हो ऐसे अभ्यर्थियों को "पीस मील वर्क" के अनुसार रू0 5000 / – प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।

Sandeep (Letter 2020)@ 14

उपरोक्त निर्देशों / शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये :–

1– सेवा प्रदाता फर्म का चयन करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये।

(अ) – सेवा प्रदाता फर्म का बैंक एकाउन्ट चालू खाता कम से कम दो वर्षों से संचालित हो।

(ब) – सेवा प्रदाता फर्म का गुड्स एवं सर्विस टैक्स विभाग से रजिस्ट्रेशन गत् एक वर्ष से हो।

(स) – सेवा प्रदाता फर्म का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीयन हो तथा कर्मचारी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान का भुगतान गत् माह तक का किया जा चुका हो अथवा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा सेवा प्रदाता फर्म को पंजीयन / अंशदान से मुक्त घोषित किया गया हो।

(द) – सेवा प्रदाता फर्म अपने कार्मिकों जिनके माध्यम से कार्य कराया जाना है, का बैंक खातों का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करायेगें।

2– सेवा प्रबन्धक किसी भी स्थिति में नगद भुगतान किसी को नहीं करेंगे चाहे वह वाहय स्रोत से सीधा आबद्ध किया गया कर्मी हो या बाहय श्रोत सेवा प्रदाता फर्म को हो।

3– सेवा प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेंगे कि बाहय श्रोत सेवा प्रदाता फर्म अपने कार्मिकों को बैंक के माध्यम से भुगतान करेंगे। वह किसी भी कर्मी को नगद भुगतान नहीं करेंगे।

4– सेवा प्रबन्धक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बाहय श्रोत सेवा प्रदाता फर्म, विगत माह में किये गये भुगतान के सम्बन्ध में निम्न सूचनायें वर्तमान बीजक के साथ प्रेषित करेगें तभी अगले माह का भुगतान अवमुक्त किया जायेगा।

(अ) फर्म, अपने कार्मिकों को बैंक के माध्यम से किये गये भुगतान का प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट) उपलब्ध करायेगें।

(ब) फर्म, जी0एस0टी0 के मद में गत् माह में देय धनराशि के भुगतान का प्रमाण (जी0एस0टी0 चालान) उपलब्ध करायेगें।

(स) फर्म द्वारा ई0पी0एफ0ओ0 को गत् माह का देय कार्मिक अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान के मदों में किये गये भुगतान का प्रमाण(ई0पी0एफ0 का चालान) उपलब्ध करायेगें।

उपरोक्त सभी सूचनायें क्षेत्र की प्रत्येक कार्यशाला (डिपो / क्षेत्रीय) के द्वारा वाहय स्रोत मद में, वाहय स्रोत सेवा प्रदाता को किये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में इकाईवार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(डा0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

Sandeep (Letter 2020)@ 15